

कार्यालय वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सामाजिक वानिकी, मेरठ क्षेत्र, मेरठ  
(223/1 सिविल लाइन मेरठ-250001)  
पत्रांक 1854 / 14-1 दिनांक, मेरठ 25, नवम्बर, 2021

दूरभाष-0121-2664726  
E-Mail cfmeerut@gmail.com

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,  
उन्नाव वन प्रभाग,  
उन्नाव।

विषय:- Construction of 6 Lane 'Ganga Expressway' (Expandable upto 8 Lane), an access controlled Green field Expressway in district Meerut, Hapur, Bulandsahar, Amroha, Sambhal, Badaun, Shahjahanpur, Hardoi, Unnao, Raibareilly, Partapgarh & Paryagraj, (CH 7+900-CH 601+847 Km) total length 593.947 Kms.

संदर्भ:- Proposal No.- FP/UP/ROAD/144793/2021.  
1-मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० लखनऊ का पत्रांक 1569/11-सी- FP/UP/ROAD/144793/2021, दिनांक 22.11.2021  
2-प्रभागीय वनाधिकारी, हापुड़ वन प्रभाग हापुड़ का पत्रांक 1710/14-1, दिनांक 25.11.2021।  
3-प्रभागीय निदेशक, सा०वा० प्रभाग मेरठ का पत्रांक 2607/14-1, दिनांक 22.11.2021।  
4-प्रभागीय निदेशक, सा०वा० प्रभाग बुलन्दशहर का पत्रांक 1528/14-1, दिनांक 22.11.2021।

महोदय,

प्रभागीय वनाधिकारी, हापुड़ वन प्रभाग हापुड़ के संदर्भित पत्र से विषयक प्रस्ताव संस्तुति सहित प्राप्त हुआ है। अतः उक्त प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त करते हुए इस कार्यालय की संस्तुति सहित 03 प्रतियों में संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

प्रभागीय निदेशक, सा०वा० प्रभाग मेरठ एवं बुलन्दशहर ने अपने संदर्भित पत्रों से अवगत कराया है कि उनके वन प्रभागों संरक्षित/आरक्षित वन भूमि विषयक प्रस्ताव में प्रभावित नहीं हो रही है। संलग्नक-उपरोक्तानुसार।



(भगना प्रसाद)

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,  
सामाजिक वानिकी, मेरठ वृत्त मेरठ।

पत्रांक 1854 / 14-1 दिनांकित।

1-प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2-प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक, पश्चिमी जोन मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

3-प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी, हापुड़ वन प्रभाग हापुड़ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि जब तक उक्त प्रस्ताव में भारत सरकार एवं उ०प्र० शासन से विधिवत स्वीकृति प्राप्त नहीं हो जाती है, तब तक सम्बन्धित क्षेत्र में किसी भी दशा में कार्य न होने दिया जाये। प्रभाग के क्षेत्रीय कर्मचारियों को इस सम्बन्ध में स्पष्ट निर्देश दे दिये जाये कि समय-समय पर क्षेत्र का भ्रमण कर निगरानी करते रहे।



(भगना प्रसाद)

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,  
सामाजिक वानिकी, मेरठ वृत्त मेरठ।

E/Land transfer

page no. 436

### भाग-III

Construction of 6 Lane 'Ganga Expressway' (Expandable upto 8 Lane), an access controlled Green field Expressway in district Meerut, Hapur, Bulandsahar, Amroha, Sambhal, Badaun, Shahjahanpur, Hardoi, Unnao, Raibareli, Partapgarh & Paryagraj, (CH 7+900-CH 601+847 Km) total length 593.947 Kms.

Proposal No.- FP/UP/ROAD/144793/2021.

|     |                                                                                                                                                    |                                                               |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 14. | स्थल जहाँ की वन भूमि शामिल की गई है क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हां/नहीं) यदि हां, तो निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें। | नहीं                                                          |
| 15. | क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग-ख में दी गयी सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।                                                           | सहमत है                                                       |
| 16. | प्रस्तावों की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत काराणों के साथ विशेष सिफारिशें।                                       | प्रस्ताव जनहित में है। अतः स्वीकृति हेतु संस्तुति की जाती है। |

तिथि : 25-11-2021

स्थान : मेरठ  
सरकारी मोहर

नाम और पदनाम

हस्ताक्षर  
  
(गंगा प्रसाद)  
वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,  
सामाजिक वानिकी मेरठ वृत्त मेरठ।  
वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक  
सामाजिक वानिकी, मेरठ क्षेत्र  
मेरठ